

मूल वाद में डिक्री

प्रपत्र 5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी: श्री जितेन्द्र ओझा, R.A.S

कैम्प :- फोलोअप मावली

उनवान

1. श्री उदयलाल पिता वरदा जाट निवासी राहमी तह. मावली ।

.....वादी

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता वरदा जाट निवासी राहमी तह. मावली ।
2. श्रीमती रताबाई पत्नी स्व. वरदा जाट निवासी राहमी तह. मावली ।
3. बदामबाई पुत्री स्व. वरदा जाट निवासी राहमी तह. मावली ।
4. हीराबाई पुत्री स्व. वरदा जाट निवासी राहमी तह. मावली ।
5. श्री दलीचन्द पिता किशना जाट निवासी राहमी तह. मावली ।
6. श्री शांतिलाल उर्फ रमेश पिता रूपा जाट निवासी राहमी तह. मावली ।
7. श्री हेमराज पिता रूपा जाट निवासी राहमी तह. मावली ।
8. श्री रतनलाल उर्फ नानालाल पिता रूपा जाट निवासी राहमी तह. मावली ।
9. रेखा पिता रूपा जाट निवासी राहमी तह. मावली ।
10. नोजीबाई पत्नी स्व. रूपा जाट निवासी राहमी तह. मावली ।
11. घीसीबाई पत्नी स्व. हमेरा जाट निवासी मावली तह. मावली ।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली ।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- 88 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर : 114 / 17 वाद

निर्णय दिनांक : 29.06.2018

अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.06.2018 को जितेन्द्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – वादी का वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 29.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जितेन्द्र ओझा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मावली